राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राज भवन, पटना–800 022

प्रथम अपील वाद संख्या–129 (प्र.अ.प्रा.)/2024–25
श्री अजय कुमार तिवारी (मुनमुन), महात्मा गाँधी नगर कटरिया तालाब, आरा–802 301
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19(1) के अधीन)

क्रम संख्या एवं दिनांक	**आदेश**	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी–दिनांक संहित
01 10.03.2025	अपीलांट के **दिनांक–13.02.25** के प्रथम अपील आवेदन एवं उसके साथ संलग्न उनके **दिनांक–13.01.2025** के मूल सूचनावेदन (**प्रपत्र 'क'**) की प्रति संलग्न करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अपीलांट के मूल सूचनावेदन के माध्यम में माँगी गयी सूचना के संबंध में एक तथ्यात्मक एवं आत्म–भारित प्रतिवेदन इस आदेश की प्राप्ति के पाँच कार्यदिवसों के अन्दर अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाये जिसमें इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि माँगी गई सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है अथवा नहीं। यदि माँगी गई सूचना अभी तक नहीं उपलब्ध करायी गई है, तो अधिनयम की धारा–8, 9, 10 एवं 11 के अध्याधीन माँगी गयी सूचना अविलम्ब अपीलांट को स्पीड–पोस्ट द्वारा प्रेषित की जाये। 2. इस आदेश के अनुपालन मे लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना से यदि अपीलांट संतुष्ट नहीं हों, तो अगले पाँच कार्यदिवसों के अंन्दर वे अपना पक्ष लिखित तौर पर उन कारणों/आधारों का उल्लेख करते हुए प्रेषित करें कि वे किस कारण से/आधार पर लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गयी सूचना से असंतुष्ट हैं और ऐसी स्थिति में वे स्वयं, अथवा अपने विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, जिनका पंजीकृत विधिक पेशेवर होना आवश्यक नहीं है, **दिनांक–18.03.2025** को **अपराह्न 02:00 बजे** प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकते हैं। 3. अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर यह धारण ली जायेगी कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा इस आदेश के अनुपालन में प्रेषित सूचना से अपीलांट संतुष्ट हैं और तदनुरूप अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं गुणागुण के आधार पर प्रस्तुत प्रथम अपील को निर्णीत किया जायेगा।	

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राज भवन, पटना–800 022

	4. सुनवाई हेतु उपस्थित होने की स्थिति में अपीलांट इस आदेश की प्रति तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई विधिमान्य फोटोयुक्त मूल पहचान–पत्र अपने साथ अवश्य लेकर आयेंगे ताकि राज भवन के स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें राज भवन परिसर स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में प्रवेश देने हेतु राज भवन के सुरक्षा प्रभारी से अनुरोध किया जा सके। 5. अपीलांट द्वारा प्रथम अपील आवेदन शुल्क के रूप में प्रेषित भा. पो. ऑ. (**संख्या–42F 718167**) की मूल प्रति लेखा पदाधिकारी को हस्तगत कराई जाये जिनके द्वारा विहित प्रक्रियानुसार पूर्वोक्त इंस्ट्रूमेंट को राज्य सरकार के उपयुक्त प्राप्ति शीर्ष में जमा कराने की कार्रवाई की जायेगी। ह./– (संजय कुमार मिश्र) अवर सचिव (विधायी)–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	

ज्ञापांक–129 (प्र.अ.प्रा.)/2024–25– 607 (रा.स.)/पटना दिनांक–10 मार्च, 2025

प्रतिलिपिः

1. **लोक सूचना पदाधिकारी**, राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना (**पत्र–वितरण पंजी के माध्यम से**),
2. **लेखा पदाधिकारी**, राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना को भा.पो.ऑ. (**संख्या–42F 718167**) की मूल प्रति के साथ (**पत्र–वितरण पंजी के माध्यम से**),
3. **श्री अजय कुमार तिवारी (मुनमुन)**, महात्मा गाँधी नगर कटरिया तालाब, आरा–802 301 (**स्पीड–पोस्ट से**),
4. **सुरक्षा प्रभारी**, राज भवन, बिहार, पटना (**पत्र–वितरण पंजी के माध्यम से**) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, और
5. **आई.टी. प्रबंधक**, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना (**पत्र–वितरण पंजी के माध्यम से**) को राज भवन के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.03.25

अवर सचिव (विधायी)–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राज भवन, पटना-800 022

प्रथम अपील वाद संख्या-129 (प्र.अ.प्रा.)/2024-25

श्री अजय कुमार तिवारी (मुनमुन), महात्मा गाँधी नगर, कतिरा तालाब, आरा, जिला-भोजपुर, पिन-802 301

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 (1) के अधीन)

आदेश

ज्ञापांक-**607** दिनांक-**12.03.25** द्वारा संसूचित गत आदेश के आलोक में इस लोक प्राधिकार के लोक सूचना पदाधिकारी, श्री कमलेश प्रसाद सिन्हा एवं अपीलांट उपस्थित हैं।

2. अपीलांट द्वारा अपने दिनांक-13.01.25 के मूल सूचनावेदन (प्रपत्र 'क') के माध्यम से (i) राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-BU-72/2016-**2806**/GS (I) दिनांक-28.11.2016, तथा (ii) निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-14/MU 13-149/2015-**1214** दिनांक-14.08.2015 के सत्यापित प्रति की माँग की गयी है जिसे अभी तक अपीलांट को नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्वीकारोक्ति लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान की गयी।

3. सुनवाई के दौरान निदेशित किये जाने पर लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा पूर्वोक्त दोनों पत्रों की छाया-प्रति हाथों-हाथ अपीलांट को उपलब्ध कराई गयी जिसकी पावती अपीलांट द्वारा स्वीकार की गयी और प्राप्त सूचना से स्वयम को संतुष्ट बताया गया।

4. लोक सूचना पदाधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि देय होने पर भविष्य में अधिनियम द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास किया जाये ताकि प्रथम अपील दायर किये जाने का अवसर नहीं उत्पन्न हो।

5. सूचना की माँग पूर्ण हो जाने के आधार पर प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन को निष्पादित किया जाता है।

ह./-

(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव (विधायी)-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

ज्ञापांक-129 (प्र.अ.प्रा.)/2024-25- 614 (रा.स.)/पटना, दिनांक-18 मार्च, 2025

1. **लोक सूचना पदाधिकारी**, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना (**पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से**); एवं
2. **श्री अजय कुमार तिवारी** (मुनमुन), महात्मा गाँधी नगर, कतिरा तालाब, आरा, जिला-भोजपुर, पिन-802 301 (**स्पीड-पोस्ट से**) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु; और
3. **आई.टी. प्रबंधक**, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना (**पत्र-वितरण पंजी के माध्यम से**) को राज भवन के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.03.25

अवर सचिव (विधायी)-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सचिव